

पत्रांक- 806/जन०

दिनांक-02/12/11

## नगर निगम, कार्यालय, मुंगेर ।

सेवा में,

निदेशक,

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,

बिहार, पटना ।

सूचना भवन बेली रोड, पटना ।

विषय-

"आम सूचना" बिहार विज्ञापन नीति - 2008 के आलोक में प्रकाशन करने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि मुंगेर फेरी सेवा उद्घाटन घाट का द्वितीय वर्ष 2012 के लिए प्रकाशन हेतु निविदा की पीथ हाई कॉपी एवं एक सीडी इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि बिहार विज्ञापन नीति 2008 के आलोक में संलग्न निविदा आम सूचना को प्रकाशित करने की गुंथा की जाय तथा कृपा वरन्दाई से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट किया जाय।

अनुसंगक- यथास्त ।

विश्वासनामन

नगर कार्यालयक पदाधिकारी,

नगर निगम, मुंगेर ।

प्रतिलिपि-

पत्रांक- 806/जन० दिनांक- 02.12.2011

जिला सूचना जनसम्पर्क पदाधिकारी मुंगेर/जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर के सूचना एवं आकरयक कार्याई हेतु प्रेषित ।

नगर कार्यालयक पदाधिकारी,

नगर निगम, मुंगेर ।

**नगर निगम कार्यालय, मुंगेर ।**  
**आम सूचना**

सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि मुंगेर राज घाट फेरी सेवा की वन्दोवस्ती झुली डाक डाक दर्य 01/01/2012 से 31/12/2012 तक के लिए निम्नांकित सुरक्षित जगह शशि पर निर्दिष्ट तिथि (क) को अपराह्न 2 बजे अपर समाप्तता कार्यालय, मुंगेर के माफ में होगी। अपरिहार्य कारणवश उक्त निर्दिष्ट तिथि को वन्दोवस्ती नहीं होने पर अंकित अनुवर्ती तिथि 'ख' एवं 'ग' को लागूकरा निर्दिष्ट समय एवं स्थान पर वन्दोवस्ती की कार्यवाई की जायेगी। प्रस्तुत फेरी को सीमा विस्तार गया नदी के दक्षिण किनारे पूरब में ताल दरवाजा से गिर्जापुर सड़क भाया धाकरपुर तथा पश्चिम में लालमरवाजा से शिवकुम्भ भाया शोशी घाट लक्ष्मणखर तथा भोज नदी के उत्तर किनारे मल्लीपुर से मानसी भाया जगडिया एवं पश्चिम में मल्लीपुर समस्तीपुर तक है।

क्र. सं०	सेवा का नाम	सुरक्षित जगह शशि	डाक की तिथि	समानता की राशि
01	मुंगेर राजघाट फेरी सेवा	वार्षिक सुरक्षित जगह शशि 14,66,810.00 (प्रति वर्ष की दर से)	(क) 14/12/2011 (ख) 15/12/2011 (ग) 16/12/2011 (अपराह्न 2.00 बजे)	351,703.00

नोट- वन्दोवस्ती हेतु दिशेष शर्तों की जानकारी नगर निगम, मुंगेर के सूचना पट पर प्रकाशित किया गया; का अवलोकन किया जा सकता है।

*(हस्ताक्षर)*  
नगर कार्यपालक (प्रशासकीय)  
नगर निगम, मुंगेर

- \* प्रत्यक्षरी के द्वारा वे मत रहें, निगरानी किमान से गिलाकर जाहें ।
- \* दूरा लेना एवं देना दोनों ही दंडनीय अपराध है।
- \* सरकारी सेवा जन सेवा का माध्यम है, धर्म ईमान की तरह इसे भी वेदाग रखे
- \* जनता को तंग भया करना जेल जाना और पानो भरना ।


**निजानी शर्तों:-**

1. समुंजत घाट वन्दोवस्ती के लिए आयोजित डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को नगर कार्यपालक प्रशासकीय, नगर निगम, मुंगेर को स्वीकार्य अपनी वित्तीय स्थिति तथा ब्याया रहित होने का प्रमाण-पत्र नगर निगम, मुंगेर में देना होगा।
2. वन्दोवस्ती के समय उन्हें दो जहाज प्रस्तुत करने होंगे, जिन्हें रटीम भलेलत बिहार के मुख्य सर्वेक्षण प्रशासकीयों द्वारा प्रथम श्रेणी के रूप में अनुमान्य किया गया है। उरुथी मुष्टि में अद्यतन सर्वेक्षण प्रमाण-पत्र एवं गिडार के निरंजन पत्र डाक के समय उपस्थापित करना होगा। उन दो जहाज में एक-से-एक 300 (तीन सौ) तथा दूसरा जहाज में माग-से-एक 1000 (एक हजार) यात्रियों को एक बार में उठने की क्षमता होनी चाहिए। एक जहाज में क्या नियम काम किया जायेगा तथा दूसरे जहाज आभारफल तथा खराम एवं अतिवस्त होने की स्थिति में उपलोक को लिए सुरक्षित रहेगा।
3. डाक को दो दिन पूर्व से दो जहाज अद्यतन सर्वेक्षण प्रमाण-पत्र को साथ घाट पर उपलब्ध रखना होगा। जो जहाज काम के समय उपलब्ध रहेगी, उरुथी के विरुद्ध डाक बोली जा सकती और वही जहाज वन्दोवस्ती के प्रचलन चलाना होगा। चलाने का रहे जहाज को आदरवक्तानुसार साहर भोज खाने एवं उरु जहाज को बदलें दूसरे जहाज को चलाने के लिए अपोश्चताशरी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।


4. डाक बस्ता को सहाय पत्र दाखिल करना होगा कि जो अहाज परिचालन हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है, वह किसी अन्य घाट (फैरी) के लिए तो पूर्व से निर्धारित नहीं है।
5. 01 जनवरी 2012 से 31 दिसम्बर 2012 तक के लिए जहाज घाट की कन्ट्रोलरों की लायेंसी। नगर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत डाक की राशि घाट की सुरक्षित जमा राशि होगी। पट्टेदार को 01 जनवरी 2012 से 31 दिसम्बर 2012 तक की अवधि तक प्रतिदिन घाट से जहाज चलाना होगा। नगर कार्यपालक पदाधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे दृष्टेष्ट क्षणों का उल्लेख करते हुए उच्चतम डाक बस्ता के साथ की गई कन्ट्रोलरों को रद्द कर दें, अथवा फेरी को नीलाम से विलुप्त ही मुक्त कर दें।
6. डाक प्रारम्भ होने से पूर्व एक अहाज प्रस्तुति तथा उनके कामकाजों की समीक्षा के बाद डाक में भाग लेने वाले हस्तक्षुल्ल व्यक्तियों को सुरक्षित जमा राशि नौ०-14,06,81०.०० (चौदह लाख छः हजार आठ सौ पचास) रुपये का चौथाई भाग नौ०-3,51,70३.०० (तीन लाख एकसत्र हजार आठ सौ तीन) रुपये वसूली के रूप में नगर निगम मुंजर कोष में जमा करना होगा। यह राशि केवल उच्चतम बस्ता की लैडवार अन्य व्यक्तियों को डाक संचालन होने के पश्चात् वापस कर दी जाएगी। उच्चतम बस्तान कब्जा प्राप्त करना की गई राशि वसूली की राशि का समायोजन अभिन्न किया की राशि के साथ की जाएगी। राशि के निर्धारित गारंटी (कुल चारह लाख) के डाक की सम्पूर्ण राशि एक मुद्रा में जमा करना होगा। पट्टेदार को नगर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा निर्धारित विधि को लागू करी एकल अधिनियम 1866 के विभाग 3 के अनुसार एकराजना करना अनिवार्य होगा। एकराजना नहीं करने पर उनके द्वारा जमा की गई कुल राशि जब्त कर ली जाएगी या एकराजना शर्तों को ही राशि की वसूली नीलाम पत्र माद द्वारा की जाएगी।
7. पट्टेदार को कम-से-कम छः बीकर्स स्वामी होगी। नीलाम की लम्बाई 30 फीट तथा चौड़ाई में 1० फीट से कम नहीं होनी चाहिए। नौवों पर अतिरिक्त बोझ होने की क्षमता यात्रियों को ले जाने की संख्या तथा फरसाहों की संख्या अंकित होनी चाहिए।
8. पट्टे की अवधि में पट्टेदार को दो अहाज स्वामि होना होगा। जिसमें एक सर्वप्रथम श्रेणी का जहाज होगा। जहाज को कम-से-कम दो बार नगर कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा निर्धारित समय पर लाल झन्डाला से राजघाट पार कर ले जाना और आना होगा। इसमें सफ़्त-समय पर नगर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा नदी की धारा को ध्यान में रखते हुए हेर-फेर भी किया जा सकता है। यात्रियों की सुविधाओं के लिए नगर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा के बूझ तथा नदी की धारा को ध्यान में रखते हुए नाव से भी यात्रियों को राजघाट सीमा के अन्दर किसी घाट से पार करने का आदेश दे सकते हैं।
9. पट्टेदार को नाव पर बटने लगाने के स्थानों को समुचित रूप से घाट निर्माण करना होगा। घाटों का इलाका और आने-जाने वाले रास्तों का प्रबंध एवं नरमजल समुचित ढंग से पट्टेदार को करना होगा। यात्रियों के लिए दोनों ओर से घाटों पर विश्रामालय की व्यवस्था करनी होगी।
10. पट्टेदार को 16 अक्टूबर से 15 जून तक इस पार और उस पार कम-से-कम तीन बार अहाज से जाना और आना होगा तथा 16 जून से 15 अक्टूबर तक कम-से-कम भी बार इस पार से उस पार ले जाना और ले आना होगा।
11. नगर कार्यपालक पदाधिकारी/उपरोक्त स्थानीय समिति द्वारा निर्धारित बाड़ा से अधिक यात्रियों, सामानों और प्रसूओं को पार करने का बाड़ा अधिक नहीं लेना होगा। जो निम्न है:

		माझा दर
(क)	प्रति अथक व्यक्ति	15/-
(ख)	प्रति बस्ता	37/-
(ग)	प्रति मोटर साईकिल	25/-
(घ)	प्रति साईकिल	०7/-


12. क्लिनिकी डाल स्वीकृत की जायेगी, उनके द्वारा बना किया गया सिरयुरिटी राशि पट्टा लेने के पुर्य जमा करना होगा। इनकी जमा की गयी रकम ठीक से शर्तों के पालन के लिए प्रतिभूति के रूप में पट्टा की समाप्ति तक जमा रहेगी।
13. नगर कार्यपालक पदाधिकारी के संतोधानुसार जहाज नहीं चलाने के लिए अथवा जहाज की सेवा को रोक देने के लिए नगर कार्यपालक पदाधिकारी को जुर्माना करने का अधिकार होगा, जो प्रतिदिन 500/- (पाँच सौ) रु० तक हो सकती है।
14. उपर्युक्त शर्तों के अवहेलना करने पर पट्टेदार का पट्टा रद्द कर दिया जा सकता है तथा नगर कार्यपालक पदाधिकारी के निर्णयानुसार प्रतिभूति की कुल राशि जमा कर लिया जायेगा। किसी शर्त की अवहेलना के लिए कार्यपालक पदाधिकारी 24 (बीबीसी) घंटे की सूचना देकर पट्टे को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

  
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर निगम, मुंगेर।


प्रतिलिपि- ज्ञापक:----- दिनांक:-----  
आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

  
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर निगम, मुंगेर।

ज्ञापक:----- दिनांक:-----  
प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी, मुंगेर/आरक्षी अधीक्षक/अपर सभासदा पदाधिकारी, मुंगेर/ अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मुंगेर/ थाना प्रभारी, लोतवाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर निगम, मुंगेर।

ज्ञापक:----- दिनांक:-----  
प्रतिलिपि- नाननीय मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद/क्षरपुत्र स्थायी समिति के सदस्य/प्रधानसहायक/ लेखापाल/रोकड़पाल, नगर निगम, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर निगम, मुंगेर।